



संदर्भ सं.राबैं.पुनर्वित्त/ 1193 /डीईडीएस/2019-20

16 जुलाई 2019

कार्यालय परिपत्र सं./ 216 /पुनर्वित्त-59/2019

अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक  
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक  
राज्य सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी कृषि  
और ग्रामीण विकास बैंक  
सभी अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक

The Chairman/Managing Director  
All Scheduled Commercial Banks  
All RRBs/ ADFCs/ StCBs/ SCARDBs  
All Scheduled Primary Urban  
Co-operative Banks

प्रिय महोदय

<u>डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) - वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए योजना जारी रखना - मार्जिन आवश्यकता में संशोधन</u>	<u>Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS) - Continuation of the Scheme for the Financial Year 2019-20 - Revision in the Margin requirement</u>
उपर्युक्त विषय पर 22 मई 2019 का हमारा परिपत्र सं.135/ पुनर्वित्त-40/ 2019 देखें। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रु.1.60 लाख तक के ऋण में मार्जिन आवश्यकता में छूट देने के निर्णय के बाद उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 7 में “सहायता का प्रकार” में निम्नानुसार संशोधन किया गया है.	Please refer to our circular No. 135/DoR- 40/2019 dated 22 May 2019 on the captioned scheme. Consequent upon the revision in the loan limit to Rs.1.60 lakh by RBI for waiver of margin requirement, there is revision in the para 7 of the above circular- “pattern of assistance” which is as under:

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

विभाग नाम

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26524926 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

Department Name

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26524926 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

पूर्व प्रावधान	नया प्रावधान	Earlier provision	New provision
रु.1 लाख से अधिक के ऋण के लिए उद्यमी का अंशदान(मार्जिन) - परियोजना लागत का 10% (न्यूनतम)	रु.1.6 लाख से अधिक के ऋण के लिए उद्यमी का अंशदान(मार्जिन) - परियोजना लागत का 10% (न्यूनतम)	Entrepreneur contribution (margin) for loans beyond <b>Rs. 1 lakh</b> – 10% of the project costs (minimum)	Entrepreneur contribution (margin) for loans beyond <b>Rs. 1.6 lakh</b> –10% of the project costs (minimum)
<p>22 मई 2019 के हमारे परिपत्र सं 135 / पुनर्वित्त-40/2019 के माध्यम से योजना के अन्य दिशा निर्देश यथावत रहेंगे और इनका पालन किया जाना आवश्यक होगा.</p>		<p>Other aspects of the scheme guidelines as conveyed vide our office circular no.135/DoR-40/2019 dated 22 May 2019 remains unchanged and have to be followed.</p>	

भवदीय

*चिंतला*

(जी आर चिंतला)

मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

**National Bank for Agriculture and Rural Development**

विभाग नाम

प्लॉट नं सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26524926 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

Department Name

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26524926 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)